

भारतीय रिज़र्व बैंक

गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग

नई दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय

RESERVE BANK OF INDIA

DEPARTMENT OF NON-BANKING SUPERVISION
NEW DELHI

REGIONAL OFFICE



पंजीकरण प्रमाण पत्र

CERTIFICATE OF REGISTRATION

संख्या

No.14.00678

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 आई ए के द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकासीया पैसेफिक फाइनेन्स लिमिटेड को

गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार प्रारंभ करने / करते रहने के लिए दूसरी तरफ दी गयी शर्तों पर वह

पंजीकरण प्रमाण पत्र

जारी किया गया।

In exercise of the powers conferred on the Reserve Bank of India by Section 45 IA of the Reserve Bank of India Act, 1934

Circassia Pacific Finance Limited.

is hereby granted

Certificate of Registration

to commence / carry on the business of non-banking financial institution subject to the conditions given on the reverse.

वर्ष उन्नीस सौ अठानवें के अप्रैल महीने के चौबीसवें दिन आज नई दिल्ली में मेरे हस्ताक्षर के अधीन जारी किया गया।

Given under my hand

At New Delhi this 24th day of the month of April in the year one thousand nine hundred ninety eight.



O.P. Aggarwal
(O.P. Aggarwal)

(महाप्रबंधक / उप-महाप्रबंधक)

General Manager / Deputy General Manager